2013 का विधेयक संख्या 12

राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं.38 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं.38) की धारा 2 के खण्ड (ख) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "धारा 3" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 13" प्रतिस्थापित की जायेगी।

____

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 की धारा 2(ख) में परिभाषित प्राधिकृत अधिकारी से ऐसा कोई सेवारत अधिकारी अभिप्रेत है जो राजस्थान न्यायिक सेवा का है और जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश है या रहा है, जिसे धारा 3 के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय की सहमति से नामनिर्देशित किया गया है। वस्तुतः, प्राधिकृत अधिकारी धारा 13 के प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया जाना है, इसलिए, धारा 3 के संदर्भ के स्थान पर धारा 13 का संदर्भ प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012
(2012 का अधिनियम सं.38) से लिये गये उद्धरण

xx xx xx xx xx xx

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **xx xx xx xx**

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से ऐसा कोई सेवारत अधिकारी अभिप्रेत है जो राजस्थान न्यायिक सेवा का है और जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश है या रहा है, जिसे धारा 3 के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय की सहमति से नामनिर्देशित किया गया है;

(ग) से (छ) **xx xx xx xx**

xx xx xx xx xx xx

(Authorised English Translation)

Bill No. 12 of 2013

THE RAJASTHAN SPECIAL COURTS (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan Special Courts Act,2012.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Special Courts (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 38 of 2012.- In clause (b) of section 2 of the Rajasthan Special Courts Act, 2012 (Act No. 38 of 2012), for the existing expression "section 3",the expression "section 13" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 2 (b) of the Rajasthan Special Courts Act, 2012 defines authorised officer to mean any serving officer belonging to Rajasthan Judicial Service and who is or has been Sessions Judge or Additional Sessions Judge, nominated by the State Government with the concurrence of the High Court for the purpose of section 3. In fact, the authorised officer is to be appointed for the purposes of section 13, therefore, the reference to section 3 is proposed to be substituted by reference to section 13.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

EXTRACT TAKEN FROM THE RAJASTHAN SPECIAL COURTS ACT, 2012
(Act No. 38 of 2012)

XX XX XX XX XX

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) xx xx xx xx xx

(b) "authorized officer" means any serving officer belonging to Rajasthan Judicial Service and who is or has been Sessions Judge or Additional Sessions Judge, nominated by the State Government with the concurrence of the High Court for the purpose of section 3;

(c) to (g) **xx xx xx xx xx**

XX XX XX XX XX

<u>2013 का विधेयक सं. 12</u>

राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रदीप कुमार शास्त्री,
विशिष्ट सचिव।

(अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री)

<u>Bill No. 12 of 2013</u>

THE RAJASTHAN SPECIAL COURTS (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend the Rajasthan Special Courts Act,2012.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRADEEP KUMAR SHASTRY,
Special Secretary.

(Ashok Gehlot, **Minister-Incharge**)